न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 48/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

नारायण सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. नत्थो कौर पत्नी श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसप्रीत कौर पत्नी श्री नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखपाल कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 07-03-2024

वादी नारायण सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण नत्थो कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की पत्नी है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी स्वयं के नाम से, वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से, वादी की पत्नी प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से एवं वादी के स्व. चाचा दर्शन सिंह पुत्र दर्शन सिंह उर्फ दसन सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एच.आर.पी. के विवादित खाता 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.557 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं

लगातार ––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) **वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः नारायण सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह(0.936 है.), नत्थो कौर पत्नी श्री बूटा सिंह(0.822 है.) एवं जसप्रीत कौर पत्नी श्री नारायण सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 4 एच.आर.पी. विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
185/109	3	16/1/0.025 है., 16/2/0.038 है., 25/0.253 है.
185/110	12	5/2/0.126 है., 5/3/0.008 है., 5/4/0.018 है., 5/5/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
185/111	18	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
186/110	11	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 10/0.253 है.

मुमकिन 2.519 है., गै.मु. 0.251 है., कुल 2.770 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 3 व 4 क्रमशः दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह(0.759 है.) एवं सुखपाल कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 4 एच.आर.पी. विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
186/110	11	11,20,21/0.253 है.प्र.
186/111	19	1,10,11,20/0.253 है.प्र.

कुल 1.771 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.04.02 17:26:12 I
Reason: SelfAttested

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 4 एच.आर.पी. के विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी स्वयं के नाम से, वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से, वादी की पत्नी प्रतिवादीया [illegible] नाम से एवं वादी के स्व. चाचा दर्शन सिंह पुत्र दमी[illegible] तहसील संगरिया के चक 4 एच.आर.पी. के विवादित [illegible] सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.557 [illegible] रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात

लगातार --4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः नारायण सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह(0.936 है.), नत्थो कौर पत्नी श्री बूटा सिंह(0.822 है.) एवं जसप्रीत कौर पत्नी श्री नारायण सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 4 एच.आर.पी. विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
185/109	3	16/1/0.025 है., 16/2/0.038 है., 25/0.253 है.
185/110	12	5/2/0.126 है., 5/3/0.008 है., 5/4/0.018 है., 5/5/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
185/111	18	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
186/110	11	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 10/0.253 है.

मुमकिन 2.519 है., गै.मु. 0.251 है., कुल 2.770 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 3 व 4 क्रमशः दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह(0.759 है.) एवं सुखपाल कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 4 एच.आर.पी. विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
186/110	11	11,20,21/0.253 है.मु.
186/111	19	1,10,11,20/0.253 है.मु.

कुल 1.771 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --5

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Web Copy - Not Official

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर मृतक दर्शन सिंह पुत्र दमी सिंह उर्फ दमन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-03-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 48/2024

नारायण सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. नत्थो कौर पत्नी श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसप्रीत कौर पत्नी श्री नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखपाल कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 02-03-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि :-

(क) वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः नारायण सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह(0.936 है.), नत्थो कौर पत्नी श्री बूटा सिंह(0.822 है.) एवं जसप्रीत कौर पत्नी श्री नारायण सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि ... चक 4 एच.आर.पी. विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2...-7...

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
185/109	3	16/1/0.025 है., 16/2/0.038 है., 23/0.253 है.,
185/110	12	5/2/0.126 है., 5/3/0.008 है., 5/4/0.018 है., 5/5/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,

85/111 18 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है.,

6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

186/110 11 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 10/0.253 है.

मुमकिन 2.519 है., गै.मु. 0.251 है., कुल 2.770 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 3 व 4 क्रमशः दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह(0.759 है.) एवं सुखपाल कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह(1.012 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 4 एच.आर.पी. विवादित खाता सं. 62/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
186/110	11	11,20,21/0.253 है.प्र.
186/111	19	1,10,11,20/0.253 है.प्र.
		कुल 1.771 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर मृतक दर्शन सिंह पुत्र दमी सिंह उर्फ दमन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X...... निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 02-03-2024...... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Web Copy - Not Official